पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2015 का आपराधिक विविध वाद संख्या-43205

थाना कांड संख्या- 576 वर्ष-2011 से उत्पन्न, थाना-पूर्व चंपारण परिवाद

जिला-पूर्वी चंपारण

==

रुपेश राय उर्फ रुपेश कुमार, पुत्र- देवेंद्र राय, निवासी- गाँव-गौरा, पी. एस. और पोस्ट तेघरा, जिला-बेगुसराय।

.... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य
2. राम प्रवेश सिंह उर्फ राम बाबू प्रसाद, पुत्र- स्वर्गीय जेना लाल सिंह , निवासी-चैनपुर, पी. एस. ढाका, जिला-पूर्वी चंपारण।

.... विपक्षी/ओं

= ===

उपस्थितिः

याचिकाकर्ता के लिए : श्री जय प्रकाश सिंह, अधिवक्ता

विरोधी पक्ष/पक्षों के अधिवक्ता : श्री नवीन के. पांडे, एपीपी

===

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 – धारा 482 – परिवाद मामला के संज्ञान वाले आदेश को अभिखंडित करना जिसमें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 406 में संज्ञान लिया गया – याचिकाकर्ता ने परिवादी को टावर लगाने की पेशकश की – परिवादी ने अन्य अभियुक्त के बैंक खाते में और याचिकाकर्ता को तीन लाख नगद दिए – लेनदेन कंपनी और परिवादी के बीच में हुआ – परिवादी ने कंपनी को अभियुक्त ही नहीं बनाया परिवाद मामला में – सारा/पूरी व्यावसायिक गतिविधि कंपनी और परिवादी के बीच हुई और कहीं भी ऐसा प्रतित नहीं होता है कि याचिकाकर्ता के बैंक खाता में रकम गई हो – विवादित आदेश, जिसके सभी परिणाम कार्यवाहियों के साथ अपास्त और अभिखंडित किया जाता है – आवेदन अनुज्ञात किया गया।

(पारा 5 से 7)

(2019) 9 एस.सी.सी 677 ; आपराधिक अपील संख्या 577/2024 – निर्भर किया गया।

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

======================================

गणपूर्ति:माननीय न्यायमूर्ति चंद्र शेखर झा

मौखिक निर्णय

तारीखः01-04-2024

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील और उत्तरदाताओं के विद्वान वकील को सुना।

2. यह रद्दीकरण याचिका विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिक्राहाना, मोतिहारी द्वारा 2011 के परिवाद वाद संख्या 576 में पारित आदेश दिनांक 13.12.2012 रद्द करने के लिए दायर गई है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 406 (संक्षेप में आई. पी. सी.) के तहत दंडनीय अपराध के लिए संज्ञान लिया।

3. परिवाद पत्र से, ऐसा प्रतीत होता है कि राम प्रवेश सिंह ने याचिकाकर्ता और चार अन्य व्यक्तियों के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 420,120 बी और 406 के तहत दंडनीय अपराधों की घटना के लिए पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में उप-मंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिक्राहाना, मोतिहारी की अदालत में 01.08.2011 को परिवाद दर्ज की।उन्होंने याचिका में कहा कि 02.01.2010 पर याचिकाकर्ता परिवादकर्ता की दुकान पर आया और उसे मेसर्स इंडिया नेट वायरलेस सर्विस का टावर लगाने की पेशकश की, इसके बाद जब परिवादकर्ता टावर लगाने के लिए तैयार था, तो ढाका क्षेत्र के लिए एक एजेंट भी नियुक्त किया गया था।इसके बाद परिवाद पत्र में नामित व्यक्ति ने विभिन्न व्यक्तियों के बैंक खाते में कुछ राशि दी और याचिकाकर्ता को तीन लाख रुपये दिए।परिवाद पत्र में आगे यह आरोप लगाया गया है कि जब उसने पुनर्भुगतान के लिए उपरोक्त राशि की मांग की, लेकिन आरोपी व्यक्तियों ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया, तो परिवादकर्ता को पता चला कि मैसर्स इंडिया नेट वायरलेस सर्विस नामक ऐसी कंपनी का अस्तित्व कभी नहीं था।इस बीच याचिकाकर्ता ने 1,300/- का एक चेक अमरुल्ला अंसारी के नाम पर दिया, लेकिन उक्त चेक से कुछ मुद्दों के कारण कोई राशि नहीं निकाली गई। इसके बाद परिवादकर्ता 17.07.2011 पर ढाका पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आया, लेकिन जब यह दर्ज (नहीं) की गई, तो वर्तमान परिवाद दर्ज की गई है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि परिवाद पत्र के माध्यम से बताए गए सभी कथित लेनदेन कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनी मेसर्स नेट वायरलेस सर्विस के साथ किए गए थे। यह इंगित किया गया है कि उपरोक्त कंपनी को उक्त परिवाद पत्र में आरोपी नहीं बनाया गया था और केवल इसी आधार पर, यह कार्यवाही रद्द किए जाने के योग्य है।यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि परिवाद के विवरण से यह आसानी से एकत्र किया जा सकता है कि याचिकाकर्ता के पास कभी भी कोई राशि जमा नहीं

की गई थी और इस तरह *प्रथम दृष्टया*, यह विश्वास के आपराधिक उल्लंघन का आरोप लगाने के लिए सौंपने का मामला नहीं है।विद्वान वकील द्वारा यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि इस तथ्य के समर्थन में कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है कि किसी भी समय रु 3,00,000-याचिकाकर्ता को कभी भी नकद में भुगतान किया जाता था। विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त तथ्य से याचिकाकर्ता के खिलाफ धोखाधड़ी या बेईमान इरादे को एकत्र नहीं किया जा सकता है।प्रस्तुतियों के समर्थन में विद्वान वकील ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट पर भरोसा किया, जैसा कि **डॉ. लक्ष्मण बनाम कर्नाटक राज्य** का मामला, जैसा कि **(2019) 9 एस. सी. सी. 677** में बताया गया है।

5. अपनी दलीलों के समर्थन में विद्वान वकील ने **राजू कृष्ण शेडबालकर बनाम कर्नाटक राज्य और एक अन्य** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट पर भरोसा किया, जैसा कि **आपराधिक अपील संख्या 577/2024 (एस.एल.पी. (सी.आर.एल.) संख्या 6137/2021 से उत्पन्न)**के माध्यम से सूचित किया गया है, के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट पर भरोसा किया।जहाँ वह उक्त रिपोर्ट का पैरा नं- 6 को देखने के लिए कहता है।, जो इस प्रकार हैः.

> **6.**इस न्यायालय में **हृदय रंजन प्रसाद वर्मा बनाम बिहार राज्य (2000) 4 एस. सी. सी. 168, में** निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गयाः
>
> *"15. प्रश्न का निर्धारण करते समय यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि केवल अनुबंध के उल्लंघन और धोखाधड़ी के अपराध के बीच का अंतर ठीक है।यह प्रलोभन के समय अभियुक्त के इरादे पर निर्भर करता है जिसे उसके बाद के आचरण से आंका जा सकता है लेकिन इस बाद के आचरण के लिए एकमात्र परीक्षा नहीं है।केवल अनुबंध का उल्लंघन धोखाधड़ी के लिए आपराधिक अभियोजन को जन्म नहीं दे सकता है जब तक कि लेन-देन की शुरुआत में धोखाधड़ी या बेईमान इरादे को सही नहीं दिखाया जाता है, यह वह समय है जब अपराध को किया गया कहा जाता है।इसलिए यह इरादा है जो अपराध का सार है किसी व्यक्ति को धोखाधड़ी का दोषी ठहराने के लिए यह दिखाना आवश्यक है कि वादा करते समय उसकी धोखाधड़ी या बेईमान मंशा थीवादा बनाए रखने में उनकी केवल विफलता से बाद में शुरू में ही इस तरह के दोषपूर्ण इरादे का वादा करना, यानी जब उसने वादा किया था, यह नहीं माना जा सकता है।"*
>
> (जोर दिया गया)

इसके अलावा, **इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन बनाम एन. ई. पी. सी. इंडिया लिमिटेड और अन्य (2006) 6 एस. सी. सी. 736 के मामले में यह** स्थिति को निम्नलिखित तरीके से दोहराया गया थाः

33. उच्च न्यायालय ने कहा है कि केवल संविदात्मक शर्तों का उल्लंघन धोखाधड़ी के बराबर नहीं होगा जब तक कि लेन-देन की शुरुआत में धोखाधड़ी या बेईमान इरादे को नहीं दिखाया जाता है और इस आरोप के अभाव में कि आरोपी का वादा करते समय धोखाधड़ी या बेईमान इरादा था, कोई "धोखाधड़ी"नहीं है।<u>उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय के कई फैसलों पर भरोसा किया है जिसमें इस न्यायालय ने कहा है कि वादे को पूरा करने में बाद की विफलता के अलावा, वादा/प्रलोभन देने के समय बेईमान इरादा आवश्यक है।धारा 415 के उदाहरण (च) और (छ) इस स्थिति को स्पष्ट करते हैं:</u>

"(च) ए जानबूझकर जेड को इस विश्वास में धोखा देता है कि ए का अर्थ है किसी भी पैसे को चुकाना जो जेड उसे उधार दे सकता है और इस तरह बेईमानी से जेड को उसे पैसे उधार देने के लिए प्रेरित करता है, ए का इसे चुकाने का इरादा नहीं है।एक धोखेबाज देता है,

(छ) ए जानबूझकर जेड को इस विश्वास में धोखा देता है कि ए जेड को नील के पौधे की एक निश्चित मात्रा वितरित करना चाहता है जिसे वह वितरित करने का इरादा नहीं रखता है, और इस तरह बेईमानी से जेड को इस तरह के वितरण के विश्वास पर पैसे आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है, ए धोखा देता है; लेकिन अगर ए, पैसा प्राप्त करने के समय, नील के पौधे को वितरित करने का इरादा रखता है, और बाद में अपना अनुबंध तोड़ता है और इसे वितरित नहीं करता है, तो वह धोखा नहीं देता है, लेकिन अनुबंध के उल्लंघन के लिए केवल एक नागरिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी है।"

(जोर दिया गया)

6. उपरोक्त तथ्यात्मक और कानूनी चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि पूरी व्यावसायिक गतिविधि मेसर्स नेट वायरलेस सर्विस के माध्यम से की गई थी, जिसे परिवाद मामले के माध्यम से आरोपी नहीं बनाया गया था और परिवाद के केवल अवलोकन से यह कहीं भी प्रतीत नहीं होता है कि याचिकाकर्ता के बैंक में

कोई राशि जमा की गई थी।तदनुसार, मोतीहारी में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिक्राहाना के समक्ष लंबित 2011 के परिवाद मामला संख्या 576 में पारित की गई अपनी सभी परिणामी कार्यवाही के साथ याचिकाकर्ता के संज्ञान के विवादित आदेश को रद्द एवं दरकिनार किया जाता है।

7. आवेदन स्वीकृत की जाती है।

8. इस आदेश की एक प्रति तुरंत विद्वत विचारण न्यायालय को भेजी जाए।

(चंद्र शेखर झा, न्यायमूर्ति)

एस. त्रिपाठी-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।